Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Appeal (Db) No. 317/2026
CNR: RJHC020684542026 | URN: CRLAD / 546U / 2026

Bhanwarlal Son of Shri Jagannath, Aged About 67 Years, Resident of Village Machda, Tehsil Amer, District Jaipur.

----Complainant-Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

2. Smt. Reena Wife of Shri Manish Sharma, Resident of Flat No. 206, Gurushikhar Shekhawati Building, Bad Peepli Sikar Road, Harmada, Permanent Resident of Village Kushalpura Basa, Samod, Jaipur Rural.

----Accused-Respondent

For Appellant(s) : Mr. Prahlad Sharma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Amit Punia, PP

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Judgment

07/10/2026
(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)

1. अपीलार्थी–परिवादी भंवरलाल द्वारा हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस के तहत विद्वान विचारण न्यायालय– **अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**16/2020** (सी.आई.एस नंबर **20/2020**), उनवानी प्रकरण **राज. राज्य बनाम रीना शर्मा** में पारित निर्णय दिनांक **18.05.2026** जिसके द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्ता रीना शर्मा को अपराध अंतर्गत धारा **302 भारतीय दंड संहिता** के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27–01–2020 को परिवादी भंवरलाल शर्मा (गवाह पी.ड.–1) द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) थानाधिकारी, पुलिस थाना हरमाड़ा (जयपुर) के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उससे छोटी बहन मन्नी देवी की शादी भंवरलाल के साथ हुई थी, उसकी बहन मन्नी देवी की उम्र 55 साल है, उसकी बहन अपने पति भंवरलाल व बेटे मनीष की बहु रीना देवी के साथ फ्लैट नंबर 206, गुरुशिखर, शेखावाटी भवन बड़पीपली स्टेण्ड में रहती थी। गत 3–4 साल से उसकी बहन से भंवरलाल जी मिलने–जुलने नहीं देते थे, उसके बेटे मनीष की बहु रीना देवी उसकी बहन के साथ मारपीट करती थी। मनीष को रीना देवी घर में नहीं रहने देती थी, उसको खाना–पीना भी नहीं देती थी। रीना देवी मनीष को पति भी नहीं मानती थी। भंवरलाल जी के रीना के साथ अवैध संबंध थे, भंवरलाल जी भी उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। दिनांक 27.01.2020 को उसे मुकेश कुमार ने फोन करके बताया कि मौसी मन्नी देवी खत्म हो गई, जिस पर वह, उसका पुत्र सुरेश शर्मा, भाई छोटीलाल शर्मा फ्लैट पर गए तब फ्लैट से नीचे उसकी बहन की लाश भंवरलाल जी की गाड़ी में थी। उन्होंने लाश को देखा तो उसकी बहन के शरीर पर जगह–जगह चोटें लगने से नीली चमड़ी पड़ी हुई थी। पता करने पर पता चला कि रीना देवी ने उसकी बहन को बेलन से व बाल पकड़कर दीवारों में भचीड़ मारने से मृत्यु हुई है। वे वहां पर गए तब कानाराम, उसकी बहन के पति भंवरलाल जी मौजूद थे। उसकी बहन की रीना देवी ने फ्लैट में मारपीट कर हत्या की है.....इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) के आधार पर पुलिस थाना हरमाड़ा, (जयपुर पश्चिम) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 70/2020 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, बाद अनुसंधान प्रत्यर्थी–अभियुक्ता रीना शर्मा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय–अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–17, जयपुर महानगर–द्वितीय मुख्यालय चौमूं के

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस पर मामला सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होने से उसे विद्वान विचारण न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं को कमिट कर प्रेषित किया गया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस चार्ज सुनकर प्रत्यर्थी–अभियुक्ता रीना शर्मा को अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर उसे सुनाया व समझाया गया तो प्रत्यर्थी–अभियुक्ता ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 लगायत पी.डब्ल्यू.–24 के बयान लेखबद्ध करवाये एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–48 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये एवं आर्टिकल 1 लगायत 9 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी–अभियुक्ता द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताना तथा उसे झूठा फंसाया जाना कथन करते हुए उसकी सास के भाई का सास की पीहर वाली संपत्ति को हड़पना, इसलिए उसके विरुद्ध साक्ष्य देना तथा उसका घटना वाले दिन अपने कांकरेल में होना, उसके ससुर एवं पति द्वारा घटना के बाद उसे फोन करके बुलाना एवं वक्त घटना उसका मौके पर नहीं होना कथन किया एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा में गवाह डी.ड.–1 भंवरलाल शर्मा व गवाह डी.ड.–2 कृष्ण शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाए जाकर दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात् प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–5 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात उभयपक्षों को सुना जाकर अपने निर्णय व आदेश दिनांक 18.05.2026 द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी–परिवादी के द्वारा, प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को तलब कर उसे उक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–परिवादी का कथन है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकरण में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता रीना द्वारा मृतका मन्नी देवी के साथ मारपीट कर उसका सिर दीवार से टकराकर उसकी हत्या करना एवं उससे हत्या में प्रयुक्त कैंची व बेलन बरामद होना पूर्णतया प्रमाणित हुआ है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत, उक्त सभी साक्ष्य पर सूक्ष्मता से एवं गहनता से विश्लेषण किए बिना, अपने आलौच्य निर्णय व आदेश दिनांक 18–05–2026 द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है, जिससे उक्त आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील, अपीलार्थी–परिवादी स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को तलब कर उसे उसके विरुद्ध आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।

9. बहस ग्रहणार्थ सुनी जाकर अपीलीय पत्रावली का मय अभिलेख सम्मानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का यह केस रहा है कि प्रत्यर्थी–अभियुक्ता के उसके ससुर भंवरलाल के साथ अवैध संबंध थे एवं उसने दिनांक 27–01–2020 को समय लगभग 7:30 पी.एम. या उसके लगभग गुरुशिखर फ्लैट नंबर 206 में उसकी सास मृतका मन्नी देवी की मृत्यु कारित करने के आशय से बेलन से व उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर टकराकर उसकी हत्या कारित की !

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

10. हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त अभियोजन कहानी के संदर्भ में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं प्रकरण पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

11. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरदीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 SC 1622** में किसी आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने हेतु निम्न पांच शर्तों का पूरा होना आवश्यक बताया है:–

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें प्रकरण में पूरी तरह से स्थापित किया गया हो;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए; अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके की अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियां निर्णायक पद्धति एवं प्रकृति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर सम्भावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए;

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार ना छूटे और यह दर्शाया जावे कि सभी मानवीय सम्भावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा;

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में यदि अभियोजन कहानी के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में घटना के दिन प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को मृतका मन्नी देवी के साथ घर पर देखे जाने के संदर्भ में प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं गवाह पी.ड.–4 मनीष कुमार शर्मा एवं गवाह पी.ड.–5 निलीमा शर्मा जो कि मृतका के पुत्र एवं

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

पुत्री हैं, उन्होंने अपने–अपने बयानों में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता का घटना के दिन घटनास्थल पर नहीं होकर अपने पीहर में होना एवं घटना के बाद फोन करने पर अस्पताल आना कथन किया है। गवाह पी.ड.–18 अनिल कुमार जांगिड़ जिसका घटनास्थल वाली जगह पर निवास करना बताया गया है, उसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना के दिन रीना को मौके पर नहीं देखना कथन किया है। गवाह डी.ड.–1 भंवरलाल जो कि मृतका का पति है, उसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना के दिन उसकी बहु का पीहर कांकरेल गए होना एवं उसकी पत्नी मन्नी का अकेले घर पर होना कथन किया है एवं गवाह डी.ड.–2 कृष्ण शर्मा जो कि मृतका का भाई है, उसने भी घटना के समय मन्नी का घर पर अकेली होना कथन किया है। इस संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.–24 रमेश सैनी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अनुसंधान के दौरान उसे ऐसा कोई गवाह नहीं मिला, जिसने घटना वाले दिन रीना व मृतका मन्नी देवी को सुसंगत समय पर साथ देखा हो, जिससे घटना के दिन प्रत्यर्थी–अभियुक्ता के मृतका मन्नी के साथ घर पर मौजूद होने बाबत् अभियोजन कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है, यद्यपि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के पेनड्राइव प्रदर्श पी–20 अनुसार प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को घटना के दिन मृतका के साथ घटनास्थल पर देखा जाना बताया गया है, किंतु प्रथम तो उक्त फर्द प्रदर्श पी–20 के गवाह हरिराम सैनी व शैतान सिंह उर्फ सुरेन्द्र न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए हैं एवं गवाह पी.ड.–17 लक्ष्मीनारायण सैनी, जिसके द्वारा उक्त सीसीटीवी फुटेज को पेनड्राईव में डालकर देना एवं धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–21 देना बताया गया है, वह लोक अभियोजक की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुआ है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में उसे कम्प्यूटर से पेनड्राईव में साक्ष्य लेने का ज्ञान नहीं होना, उसके खुद के द्वारा कम्प्यूटर से पेनड्राइव में कोई सामग्री नहीं लेना एवं इस कार्य के लिए बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना, उसका नाम उसे मालूम नहीं होना एवं धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–21 का सी से डी भाग *''जो सीसीटीवी फुटेज को मेरे द्वारा गुरूशिखर शेखावाटी भवन*

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

(अपार्टमेंट) बड पिपली सीकर रोड जयपुर में लगे कम्प्यूटर से खाली पैन ड्राईव में अपलोड किया गया है'' एवं ई से एफ भाग *''मैं कम्प्यूटर का काम सुचारू रूप से जानता हूं''* गलत लिखा होना कथन किया है एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी–22 का सी से डी भाग *''सुबह समय.....सम्भालो''* तथा जी से एच भाग *''जिसको.....तक है''* गलत होना कथन किया है। गवाह पी.ड.–24 रमेश सैनी जो कि अनुसंधान अधिकारी है, उसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में इस संदर्भ में यह स्वीकार किया है कि लक्ष्मीनारायण ने उसके सामने पैन ड्राईव को सीसीटीवी रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं किया था। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि सीसीटीवी फुटेज जिस व्यक्ति द्वारा पेनड्राईव में डाली गई, वह भी न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है, जिससे उक्त सीसीटीवी फुटेज एवं उसके संदर्भ में जारी धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र दोनों ही युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाने से अभियोजन कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाई है।

13. हस्तगत प्रकरण में जहां तक प्रत्यर्थी–अभियुक्ता के मृतका के पति भंवरलाल से अवैध संबंध होने एवं उसके द्वारा मृतका मन्नी के साथ बेलन से एवं उसके बाल पकड़कर दीवार से सिर टकराकर उसकी मृत्यु कारित करने बाबत् अभियोजन कहानी का संदर्भ है तो प्रकरण में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता के भंवरलाल के साथ अवैध संबंध होने के संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, गवाह पी.ड.–1 भंवरलाल जो कि परिवादी है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस संदर्भ में यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात का वहम था कि रीना व भंवरलाल के मध्य अवैध संबंध हैं। गवाह पी.ड.–3 छोटेलाल शर्मा जो कि मृतका का भाई है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने कभी भी रीना और भंवरलाल को गलत हरकत करते, आपत्तिजनक स्थिति में अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, वह अवैध संबंधों की बात मनीष के कहे अनुसार बता रहा है। गवाह पी.ड.–4 मनीष ने अपनी प्रतिपरीक्षा में गवाह छोटेलाल के उक्त कथनों की पुष्टि नहीं की है एवं इस सुझाव से इनकार किया है कि उसकी पत्नी रीना व उसके पिता भंवरलाल के बीच गलत संबंध थे।

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

हस्तगत प्रकरण में मृतका का सिर दीवार से टकराने बाबत् अभियोजन कहानी की पुष्टि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 के अवलोकन से नहीं हुई है, क्योंकि उसमें मृतका मन्नी के सिर पर चोटें आना अंकित नहीं हैं। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि गवाह डी.ड.–1 भंवरलाल शर्मा जो कि मृतका का पति है एवं गवाह डी.ड.–2 कृष्ण शर्मा जो कि प्रत्यर्थी–अभियुक्ता का भाई है, उन्होंने अपने–अपने बयानों में मन्नी का घर पर अकेले होना एवं रसोई में काम करते वक्त ऊपर से गिरने से उसकी मृत्यु होना कथन किया गया है, जिससे हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता के भंवरलाल के साथ अवैध संबंध होने एवं उसके द्वारा मृतका का सिर दीवार से टकराकर उसकी मृत्यु कारित करने बाबत् अभियोजन कहानी भी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाई है।

14. हस्तगत प्रकरण में जहां तक प्रत्यर्थी–अभियुक्ता से घटना में प्रयुक्त बेलव व कैंची बरामद होने बाबत् अभियोजन कहानी का संदर्भ है तो उक्त बेलन व कैंची को दौराने अनुसंधान प्रत्यर्थी–अभियुक्ता से गवाह पी.ड.–13 श्रीमती सुदेश एवं गवाह पी.ड.–16 रामप्रताप कांस्टेबल की उपस्थिति में जरिए फर्द प्रदर्श पी–14 बरामद करना बताया गया है, किंतु प्रथम तो उक्त फर्द के उक्त दोनों साक्षीगण पुलिस कार्मिक हैं एवं द्वितीय उनके दिनांक 30–01–2020 को बरामदगी स्थल पर जाने के संबंध में उक्त दिनांक की ना तो रोजनामचा रपट न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, ना ही वाहन की लॉगशीट प्रस्तुत हुई है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त दोनों गवाहान ने ही अपनी–अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त बरामदशुदा बेलन एवं कैंची का रीना के अनन्य कब्जे वाले कमरे या आलमारी से बरामद नहीं होना स्वीकार किया है, गवाह पी.ड.–24 रमेश सैनी जो कि अनुसंधान अधिकारी है, उसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में बरामदगी स्थल रसोई रीना के अकेले के कब्जेशुदा नहीं होना स्वीकार किया है।

हस्तगत प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त जब्तशुदा बेलन व कैंची पर से ना तो कोई फिंगरप्रिंट लिए गए हैं और ना ही उन्हें

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

एफ.एस.एल. जांच के लिए भेजा गया है एवं प्रकरण में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता के खून आलूदा कपड़े भी जब्त नहीं किए गए हैं।

15. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियोजन पक्ष का यह पुनित दायित्व होता है कि वह प्रकरण में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को आरोपित अपराध से जोडने के लिए उसकी प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे सिद्ध करे एवं उक्त सभी कड़ियों की श्रृंखला इतनी प्रबल, सघन, पूर्ण व अविराम हो एवं उनसे मात्र यह निष्कर्ष निकले कि मानव संभाव्यताओं की सभी दशाओं में, अपराध केवल और केवल अभियुक्ता द्वारा कारित किया गया है, अन्य किसी द्वारा नहीं, परन्तु हस्तगत प्रकरण में, पत्रावली पर जो साक्ष्य/सामग्री अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है, उसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त कडियां टूटी हुई, बिखरी हुई व असमान हैं, जो हमारी विनम्र राय में प्रत्यर्थी–अभियुक्ता को आरोपित अपराध से पूर्णरूप से नहीं जोडती है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Babu Sahebagouda Rudragoudar Vs. State of Karnataka reported in [(2024) 8 SCC 149]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि

> "38. Further, in H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581 this Court summarised the principles governing the exercise of appellate jurisdiction while dealing with an appeal against acquittal under Section 378 Cr.PC as follows:
>
> > "8. xxx xxx xxx
> >
> > 8.1. The acquittal of the accused further strengthens the presumption of innocence;
> >
> > 8.2. The appellate court, while hearing an appeal against acquittal, is entitled to re-appreciate the oral and documentary evidence;
> >
> > 8.3. The appellate court, while deciding an appeal against acquittal, after re-appreciating the evidence, is required to consider whether the view taken by the trial court is a possible view which could have been taken on the basis of the evidence on record;
> >
> > 8.4. If the view taken is a possible view, the appellate court cannot overturn the order of

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

acquittal on the ground that another view was also possible; and

8.5. The appellate court can interfere with the order of acquittal only if it comes to a finding that the only conclusion which can be recorded on the basis of the evidence on record was that the guilt of the accused was proved beyond a reasonable doubt and no other conclusion was possible."

39. Thus, it is beyond the pale of doubt that the scope of interference by an appellate court for reversing the judgment of acquittal recorded by the trial court in favour of the accused has to be exercised within the four corners of the following principles:

(a) That the judgment of acquittal suffers from patent perversity;

(b) That the same is based on a misreading/omission to consider material evidence on record; and

(c) That no two reasonable views are possible and only the view consistent with the guilt of the accused is possible from the evidence available on record."

17. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उभयपक्षों के तर्कों पर मनन एवं उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **18—05—2026** में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं वह पुष्टि किये जाने योग्य है एवं अपील, अपीलार्थी—परिवादी खारिज किए जाने योग्य है।

18. परिणामतः अपीलार्थी—परिवादी के द्वारा प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय—**अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूं** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—**16/2020 (सी.आई.एस नंबर 20/2020)**, उनवानी प्रकरण राज.राज्य बनाम रीना शर्मा में पारित निर्णय दिनांक **18—05—2026** की पुष्टि की जाती है।

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)

19. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

(BHUWAN GOYAL),J **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

Rahul/114(S)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

(Uploaded on 07/10/2026 at 06:06:19 PM)
(Downloaded on 20/10/2026 at 08:56:48 AM)